TRANSFORMATION OF TRIBAL WOMEN'S REPRESENTATIVES IN PANCHAYATI RAJ
पंचायती राज में जनजातीय महिला जनप्रतिनिधियों का रूपान्तरण

Priyanka Salvi
Research Scholar, Department of Political Science, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur
Email: priyankasalvi186@gmail.com

ABSTRACT

In the present research paper, research relevant facts of women representatives of tribes in Girva Panchayat Samiti and Salumbar Panchayat Samitis of the Udaipur region have been presented. Under this, it was evaluated by studying the actual situation of women public representatives in tribal gramme panchayats. In the present research paper, taking 45 gramme panchayats of Girwa and 34 gramme panchayats of Salumbar as study areas, 3–3 gramme panchayats were selected. For their study, a systematic questionnaire was used and, on the basis of that, various aspects of their opinion and their role were studied by the people's representatives. The facts that emerged during this study are presented here. During the study, questions were asked from the people's representatives through a questionnaire. It appeared that women's public representatives have now got full approval from the men's section in the rural areas. Women were only found and elected to Panchayati Raj posts after much persuasion in the first Panchayati Raj elections. As far as participation in the Panchayat meeting is concerned, about 80 percent of women participate in the meeting. It is also clear that their participation in the Panchayat meetings is increasing with the passage of time. When the public representatives were asked, "What have you accomplished by remaining in the panchayat?" People's representatives have helped in making CC roads, drains and bringing electricity to the ward. One question which is important, they were asked, is whether you sit in the Panchayat wearing a veil. So, most of the women said that we sit in a veil. From the information obtained through the questions in the article discussed, it seems that the tribal men can see the change in the women of the tribes in a new way. Awareness has come to them. Women are showing eagerness to go to the posts of various institutions of Panchayat Raj. There are some families who have got political support and they aspire to be the head member of panchayat samiti or a member of the zilla parishad. It would also be fair to say that now the competition among women is also slowly growing. The post of Ward Panch or Sarpanch also now gives respect to female public representatives. This honour also excites him. It has also affected the social evils. Women's public representatives are also proving helpful in stopping the prevalent malpractices in their society. It can be said that tribal women have got a new identity through panchayati raj institutions.

प्रस्तुत शोध पत्र में उदयपुर क्षेत्र की गिर्वा पंचायत समिति एवं सलूंबर पंचायत समितियों में जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों के शोध संगत तथ्य प्रस्तुत किए है। इसके अंतर्गत जनजाति ग्राम पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हुए इसका मूल्यांकन किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में गिर्वा के 45 और सलुंबर के 34 ग्राम पंचायतों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लेते हुए 3–3 ग्राम पंचायतों का चयन किया। इनके अध्ययन हेतु एक व्यवस्थित प्रश्नावली और उसी के आधार पर जनप्रतिनिधियों से उनकी राय और उनकी भूमिका के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के दौरान जो तथ्य सामने आए उसी का प्रस्तुतीकरण किया गया है। अध्ययन के दौरान प्रश्नावली द्वारा जनप्रतिनिधियों से सवाल किए गए उससे यह प्रतीत हुआ कि महिला जनप्रतिनिधियों को अब ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष वर्ग द्वारा पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है। पहले पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को ढूंढ कर काफी कुछ समझाइश के बाद ही पंचायतों में पद पर खड़ा किया जाता था। पंचायत की बैठक में जहाँ तक भाग लेने का प्रश्न है लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ बैठक में भाग लेती हैं। यह भी स्पष्ट है कि पंचायतों की बैठक में समय के साथ उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है।जनप्रतिनिधियों से जब पूछा गया कि आपने पंचायत में रहकर कौन से कार्य करवाए हैं? जनप्रतिनिधियों ने सीसी रोड, नालियाँ बनाना और वार्ड में बिजली लाने में सहायता की है। एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उनसे पूछा गया कि अब भी आप पंचायत में घुंघट लगा कर बैठती हैं? तो अधिकांश महिलाओं का कहना था कि हम घुंघट में ही बैठती है। विवेचित आलेख में प्रश्नों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ऐसा लगता है कि आदिवासी जनजातियों की महिलाओं में एक नए तरीके से परिवर्तन देख सकते हैं। उनमें जागरूकता आई है।महिलाएँ पंचायत राज की विभिन्न संस्थाओं के पद पर जाने में उत्सुकता दिखा रही हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें राजनैतिक संबल मिला हुआ है और वे पंचायत समिति के प्रधान सदस्य ,जिला परिषद के सदस्य तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। यह कहना भी उचित होगा कि महिलाओं में अब प्रतिस्पर्धा भी धीरे–धीरे पनपती नजर आ रही है। वार्ड पंच या सरपंच का पद भी अब महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मान देता है। यह सम्मान उन्हें उत्साहित भी करता है। सामाजिक कुरीतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, महिला जनप्रतिनिधि अपने समाज में प्रचलित कुप्रथाओं को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो रही हैं। कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आदिवासी महिलाओं को एक नई पहचान मिली है।

Keywords: Tribal Women, People's Representatives, Panchayati Raj, Transformation.

मुख्य शब्द: जनजाति महिलाएँ, जनप्रतिनिधि, पंचायती राज, रूपातन्तरण

प्रस्तावना

राजस्थान में पंचायती राज का विकास 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के बगदरी गांव में प्रारंभ हुआ। पंचायती राज में उस समय महिलाओं की संख्या न के बराबर हुआ करती थी। महिलाओं को पंचायतों में सदस्य के रूप में कॉप्ट (मनोनीत) कर लिया जाता था। वे महिलाएँ कभी भी पंचायतों को बैठकों में भाग लेने नहीं जाया करती थी। पंचायत का कर्मचारी पंचायत के प्रस्तावों पर उन महिलाओं के घर जाकर उनके हस्ताक्षर करवा लिया करता था। ऐसे में हम यह समझ सकते हैं की महिलाओं की भागीदारी उस समय पंचायती राज संस्थाओं में न के बराबर रहा करती थी। ऐसी ही स्थिति पंचायत समिति और जिला परिषद के अंतर्गत देखी जा सकती थी। 73–74वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान रखा गया। प्रारंभ में यह आरक्षण एक तिहाई सीटों पर रखा गया जिसे राजस्थान जैसे राज्य में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम– 1992 के आधार पर बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया।

अध्ययन विधि एवं तथ्य संकलन

प्रस्तुत शोध पत्र में उदयपुर क्षेत्र की गिर्वा पंचायत समिति एवं सलूंबर पंचायत समितियों में जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों के शोध संगत तथ्य प्रस्तुत किए है। इसके अंतर्गत जनजाति ग्राम पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हुए इसका मूल्यांकन किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में गिर्वा के 45 और सलुंबर के 34 ग्राम पंचायतों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लेते हुए 3–3 ग्राम पंचायतों का चयन किया। इनके अध्ययन हेतु एक व्यवस्थित प्रश्नावली और उसी के आधार पर जनप्रतिनिधियों से उनकी राय और उनकी भूमिका के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के दौरान जो तथ्य सामने आए उसी का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

महिला जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार

अध्ययन के दौरान प्रश्नावली द्वारा जनप्रतिनिधियों से सवाल किए गए उससे यह प्रतीत हुआ कि महिला जनप्रतिनिधियों को अब ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष वर्ग द्वारा पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है। पहले पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को ढूंढ कर काफी कुछ समझाइश के बाद ही पंचायतों में पद पर खड़ा किया जाता था। अब वहां यह स्थिति नहीं रही हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि अब महिला पंचायत में चुनाव में दिलचस्पी लेने लगी है। वे बड़ी मात्रा में बेझिझक होकर सदस्य बनने हेतु तैयार होने लगी है।

- पंचायत की बैठक में जहाँ तक भाग लेने का प्रश्न है लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ बैठक में भाग लेती हैं। यह भी स्पष्ट है कि पंचायतों की बैठक में समय के साथ उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है।
- जनप्रतिनिधियों से जब पूछा गया कि आपने पंचायत में रहकर कौन से कार्य करवाए हैं? जनप्रतिनिधियों ने सीसी रोड, नालियाँ बनाना और वार्ड में बिजली लाने में सहायता की है। एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उनसे पूछा गया कि अब भी आप पंचायत में घुंघट लगा कर बैठती हैं? तो अधिकांश महिलाओं का कहना था कि हम घुंघट में ही बैठती है।
- जब प्रतिनिधियों से पूछा गया कि ग्रामीण समाज और पंचायत समिति के कर्मचारी आदि उन्हें सम्मान देते हैं? अधिकांश महिलाओं का कहना था कि अब हमें ग्रामीण समाज में और पंचायत समिति स्तर पर सम्मान देने लग गए हैं।
- ग्राम पंचायत भी दलगत राजनीति से अलग नहीं है। यह तथ्य हमें अध्ययन के दौरान स्पष्ट रूप से देखने को मिला। लगभग 80 प्रतिशत जनप्रतिनिधि कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी आदि दलों से जुड़े हुए दिखाई दिए। बहुत ही कम जनप्रतिनिधि किसी दल से नहीं जुड़े हुए थे।
- जब उनसे पूछा गया कि क्या आप पंचायतों के कार्यों में निर्णय राजनीति से प्रेरित हो कर लेती हैं? तो आधे जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वह निर्णय राजनीति से प्रेरित होकर ही लेते हैं। जबकि अन्य जनप्रतिनिधियों का कहना था कि पंचायत के निर्णय गांव के हित को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं।
- जब उनसे पूछा गया कि पंचायत समिति स्तर पर राजनीतिक दल से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं तो लगभग सभी जनप्रतिनिधियों का कहना था कि पंचायत समिति स्तर पर भी राजनीतिक दलों का

हस्तक्षेप है और प्रधान जिस दल का है उसी दल के प्रतिनिधि के रूप में वह कार्य करता है।

- जनप्रतिनिधियों से जब पूछा गया कि जनजाति वर्ग से होने से क्या आपको अपने कार्य निष्पादन में बाधा आती हैं? उसी के साथ यह भी प्रश्न किया गया कि इस वर्ग से होने के कारण आपके समक्ष क्या बाधाएं आती हैं? इसके उत्तर में मोटे तौर पर शिक्षा का अभाव, आर्थिक स्थिति ,राजनैतिक चेतना की कमी और घरेलू जिम्मेदारियों के रूप में इंगित किया गया।

शिक्षा का अभाव

शिक्षा का अभाव अपने–आप मे एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसी अभाव के कारण महिलाएँ और अशिक्षित पुरुष दोनो ही पंचायत के कार्य, नियम, अधिनियम आदि बातों से वंचित रहते है। वास्तव में देखा जाए तो आदिवासी पंचायतों मे सरपंच पद पर आसीन महिला प्रतिनिधि को बहुत बड़ा संबल चाहिए और यह संबल महिला को उसी व्यक्ति से मिल सकता जो शिक्षित हो और ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता हो।

दोहरी भूमिका

पंचायत राज के प्रारंभिक दिनों में देखने में आया कि महिला सरपंच के पति ही सारे कामों का निपटारा करते थे। धीरे–धीरे सरपंच पतियों की संख्या बढ़ती गई और उनका हस्तक्षेप भी बढ़ता गया। अब जाकर सरपंच पति की भूमिका काफी हो–हल्ला के बाद कम हुई हैं। अब महिला पंच ,महिला प्रधान अपना कार्य स्वतंत्र रूप से स्वयं करने लगी हैं इसका प्रभाव कहीं पंचायतों में देखा जा सकता है। जहां महिला सरपंच या प्रधान स्वयं ही सारे कार्य देखती हैं इससे उनमें नई शक्ति का संचार हुआ है और वे अब पंचायत के कार्यों में अधिक रूचि रखने लगी है। अध्ययन के दौरान भी हमें देखने को मिला कि पंचायत के प्रतिनिधि और सरपंच अपनी कमियों को जानते हुए भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न महिला जनप्रतिनिधियों का है तो घरेलू कार्यों में भी उनकी भूमिका कम नहीं है। आज महिला पंचों और सरपंचों पर दोहरा भार है उन्हें घर के सारे कामकाज निपटाने होते हैं। समय की बहुत कमी है। उनकी आर्थिक स्थिति हमारा विशेष ध्यान आकर्षित करती है। कई महिला जनप्रतिनिधि आर्थिक योगदान को दृष्टिगत रखते हुए महा नरेगा में दैनिक मजदूरी करती देखी गई है। दूसरे शब्दों में यह कहे कि महिला जनप्रतिनिधियों को न केवल अपने घरेलू कामकाज अपितु आर्थिक पक्ष का भी ध्यान रखना होता है।

कार्यशैली में आंशिक बदलाव

यह बात भी सही है कि समय के साथ जनप्रतिनिधियों में उनके दृष्टिकोण में और कार्यशैली में बदलाव आया है लेकिन यह बदलाव और उसकी रफ्तार धीमी है। आज भी महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर विचार करे तो आशा के अनुरूप भूमिका नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। शिक्षा की सुविधा में भी बढ़ोतरी हुई है। नई पीढ़ी की युवतियों में पढ़ने का रुझान बढ़ रहा है। वे जब पंच और सरपंच बनेगी उनकी भूमिका वर्तमान पंच सरपंचों की तुलना में बेहतर होने की आशा है।

निष्कर्ष

विवेचित आलेख में प्रश्नों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ऐसा लगता है कि आदिवासी जनजातियों की महिलाओं में एक नए तरीके से परिवर्तन देख सकते हैं। उनमें जागरूकता आई है।महिलाएँ पंचायत राज की विभिन्न संस्थाओं के पद पर जाने में उत्सुकता दिखा रही हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें राजनैतिक संबल मिला हुआ है और वे पंचायत समिति के प्रधान सदस्य ,जिला परिषद के सदस्य तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। यह कहना भी उचित होगा कि महिलाओं में अब प्रतिस्पर्धा भी धीरे–धीरे पनपती नजर आ रही है। वार्ड पंच या सरपंच का पद भी अब महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मान देता है। यह सम्मान उन्हें उत्साहित भी करता है। सामाजिक कुरीतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, महिला जनप्रतिनिधि अपने समाज में प्रचलित कुप्रथाओं को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो रही हैं। कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आदिवासी महिलाओं को एक नई पहचान मिली है।

संदर्भ

1. लक्ष्मी मल सिंघवी समिति – 1986
2. पंचायती राज अधिनियम – 1992
3. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम – 1994

4. डॉ. क्षमता सेठ पंचायती राज (राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का एक व्यवहारिक अध्ययन) – 2002
5. वेददान सुधीर, अरुण चतुर्वेदी, गिरिराज शर्मा भारत में पंचायती राज विचार कल्पना एवं यथार्थ – 2004
6. गिरीराज शर्मा पंचायती राज और कमजोर वर्ग – 2008
7. डॉ. इकबाल खान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं – 2009